राजस्थान – सरकार
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (केन्द्रीय भण्डार) भू – जल विभाग,
न्यू पावर हाउस रोड, जोधपुर
दूरभाष 0291–2432765 / 2431942, फैक्स– 0291 – 2631295 / 2431942 mail – secsgwdjdpr@gmail.com /chiefgwd3@gmail.com, website http://phedwater.rajasthan.gov.in GSTIN:08JDHS01576B1D5

कमांक : – प.2(5) / एस.के.जी. / स्टेट प्लान– वाटर कुलर / अ.अ. / के.भं. / भूजवि / जो / 2018–19 / 889 दिनांकः– 29.01.2019

Invitation to Bid under RTPP Section 30(1)(b) & Rule16(2)(a)

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता केन्द्रीय भण्डार भू – जल विभाग, जोधपुर द्वारा निम्न लिखित सामग्री आपुर्ति, एवं स्थापना कार्यो हेतु अपने बोली दरे प्रस्तुत किये जाने के लिये अनुभवी / विभागीय निविदाओ के मार्फत कार्य करने के अनुभवी / इस प्रकार के कार्य किये जाने के लिये अधिकृत अथवा पंजीकृत ठेकदारो / सप्लाइरो से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम , 2013 के नियम 16(2)(a) के अन्तर्गत अनुरोध किया जाता है। ऐसे निविदादाताओ से अनुरोध है कि वह कार्य किये जाने के लिये कार्य की समस्त शर्तो को ध्यान में रखते हुवे दरे कोटेशन के मार्फत अपने लेटर हैड में दिनांक 07.02.2019 तक अपरान्ह 12.00 बजे तक इस कार्यालय को सील बन्द लिफाफो में मय इस Invitation to Bid की प्रति पर दस्तखत (शर्तो की स्वीकारोक्ति) कर डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। प्राप्त कोटेशन दिनांक 07.02.2019 को अपरान्ह 1.00 बजे निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में खोले जायेगे जिसमें इच्छुक बोलीदाता उपस्थित हो सकते है ।

क. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमानित दर (रु.)
1	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर के भू तल भवन पर पीने के पानी के फिल्टर लगे स्थान पर पानी ठण्डा किये जाने की मशिन अर्थात वाटर कुलर की आपुर्ति एवं स्थापना कर आवश्यक कनेक्सन करते हुवे चालु करना।	एक वाटर कुलर (न्यूनतम क्षमता 60 / 120 लीटर) की आपुर्ति एवं स्थापना	60000 / --

शर्ते :–

1. प्रत्येक बोलीदाता / निविदादाता एक ही कोटेशन प्रस्तुत कर सकता है ।
2. कोटेशन में प्रस्तुत दरे समस्त प्रकार के लागु करो एवं अन्य लेवी को सम्मिलित कर दी जानी है। विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के कर अथवा अन्य लेवी का पृथक से भुगतान नही किया जावेगा।
3. कोटेशन में प्रस्तुत दरो में आपुर्ति, लोडिंग, अनलोडिंग, स्थापना एवं अन्य आवश्यक कार्यो में लगने वाले खर्चे आदि सम्मिलित होने चाहिये विभाग द्वारा कोटेसन में दी गयी कार्य की दरो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के पृथक कार्य आदि का भुगतान नही किया जावेगा।
4. बोलीदाता / निविदादाता कार्य की दरे प्रस्तुत करने से पुर्व कार्य की जानकारी एवं आपुर्ति तथा स्थापना स्थल को देख कर जानकारी ले सकता है।
5. आपुर्ति एवं स्थापना सम्बन्धी समस्त कार्य पुर्ण कर वाटर कुलर मशिन को चालु कर सुपूर्द किये जाने की अवधि – 20 कार्यदिवस इस अवधि के पश्चात कार्य पुर्ण किये जाने पर निम्नानुसार एल. डी. राशि बिल भुगतान से कटौती कर ली जावेगी : –

   परिसमापित नुकसानी :– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है :–

   (क) (1) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए – 2.5 प्रतिशत
   (2) विहित सुपुर्दगी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए – 5 प्रतिशत
   (3) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए – 7.5 प्रतिशत
   (4) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए – 11 प्रतिशत

   (ख) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
   (ग) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
   (घ) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
6. कोटेशन के लिये अनुरोध में यथा उपवर्णित कार्य की आवश्यकताओ एवं शर्तो को पूरा करने वाला न्यूनतम कीमत वाले उपयुक्त कोटेशन को सफल कोटेशन करार दिया जावेगा।
7. निर्धारित समय अवधि व तारीख के बाद निविदाएं स्वीकार नही की जावेगी।

८. वांछित गुणवत्ता के अनुसार आपुर्ति एवं कार्य नही होने पर आपुर्ति एवं कार्य निरस्त किया जाकर अन्य फर्म से कार्य करवाये जाने के लिये विभाग स्वतन्त्र है।

९. स्थापना सम्बन्धी कार्य विभागीय कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे से सॉय 5 बजे तक विभाग द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष किया जाना है। इस आपुर्ति के सम्बन्ध में कन्साईनी के रुप में अधिशाषी अभियन्ता – सिविल भू जल विभाग, जोधपुर – 0291–2432462 को अधिकृत किया जाता है । सामग्री की आपुर्ति कन्साइनी द्वारा ली जाकर उनके निर्देशानुसार स्थापना का कार्य पुर्ण किया जाना है तथा आपुर्ति एवं स्थापना के सन्तोषप्रद होने सम्बन्धी प्रमाणीकरण कन्साईनी द्वारा इनवॉईस /चालान/इन्सटालेसन रिपोर्ट/अन्य दस्तावेज पर किये जाकर इस प्रमाणिकरण को इनवॉइस सहित कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता केन्द्रीय भण्डार भूजल विभाग, जोधपुर को प्रस्तुत किये जाने पर इसी कार्यालय द्वारा विधिवत भुगतान किया जा सकेगा। इनवॉइस अधीक्षण अभियन्ता केन्द्रीय भण्डार भूजल विभाग जोधपुर के नाम प्रस्तुत करना है।

10. भुगतान – कार्य संतोषपुर्वक तरीके से पुर्ण होने पर प्रस्तुत बिलो की प्राप्ति के एक माह के भीतर किया जा सकेगा ।

11. कटौतियॉं – आपुर्ति एवं कार्य पुर्णता के समय प्रचलित नियम, कानुन आदि के अनुसार किसी भी प्रकार की कटौति बिल से की जा सकती है

12. उक्त के विरुद्ध कोटेसन प्रस्तुत किये जाने के साथ साथ निम्न सुचनाये आवश्यक रुप से प्रस्तुत की जानी है :
    - i) आपुर्ति के लिये दिये गये ऑफरड प्रोडक्ट का मैक मॉडल : ....
    - ii) आपुर्ति के लिये दिये गये ऑफरड प्रोडक्ट की क्षमता : ....
    - iii) आपुर्ति के लिये दिये गये ऑफरड प्रोडक्ट का लिफलेट/पम्फलेट : ....
    - iv) आपुर्ति के लिये दिये गये ऑफरड प्रोडक्ट की गारण्टी/वारण्टी अवधि : ....
    - v) आपुर्ति के लिये दिये गये ऑफरड प्रोडक्ट के लोकल डीलर का पता : ....
    - vi) किसी भी प्रकार की शिकायत के लिये टॉलफी अथवा अन्य टेलिफोन नं. : ....
    - vii) बोली दाता फर्म का जी. एस. टी. नं. (कुपया प्रति संलगन करे)....................................
    - viii) बोलीदाता फमें के बैक एकाउन्ट का विवरण जिसका उपयोग भुगतान हेतु किया जाना है: ....

13- उक्त Invitation to Bid का प्रकाशन http://sppp.rajasthan.gov.in/ पर यू. बी. एन. नं. .... से किया जा रहा है।

14. प्रोडक्ट के सिरियल नं. , गारण्टी वारण्टी कार्ड आपुर्ति के साथ दिये जाने है। उक्त कार्य / खरीद प्रकिया में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अध्यधीन रहेगी।

(हंसराज भट्ट)
अधीक्षण अभियन्ता
(केन्द्रीय भण्डार)
भू जल विभाग, जोधपुर

प्रेषित –

1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________
6. ____________________

No. 891 Date:- 30/1/19

Forwarded to following for publicity through notice board & other means.

1 The CE, GWD Jodhpur 2. The FA, GWD Jodhpur
3. The SE GWD Jodhpur / SHG GWD Jodhpur
4. The EE (GW) / ... / Civil, Jodhpur
5. The Sr. Hyd. SER / RDCD Jodhpur
6. The Sr. Chemist / Sr. Geophy. Jodhpur.
7. The AE I / II / Civil Jodhpur